### न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक-40ए/2013</u> संस्थापन दिनांक-02.07.2013

1—बिसरामसिंह पिता धरमसिंह, उम्र 66 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—तुमड़ीभाट, बैहर, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—मु.सुभद्रा पिता बिसरामसिंह, उम्र 43 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—तुमड़ीभाट, बैहर, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—देवकी पिता बिसरामसिंह, उम्र 39 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—तुमड़ीभाट, बैहर, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– वादीगण

A Red Stal

#### <u>विरूद्ध</u>

1—सुन्दरसिंह पिता अमानसिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—महाजनटोला तुमड़ीभाट, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—मुनियाबाई पिता अमानसिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—महाजनटोला तुमड़ीभाट, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—सरूपाबाई पिता अमानसिंह, उम्र 42 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—महाजनटोला तुमड़ीभाट, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

## -:// <u>निर्णय</u> //:-(आज दिनांक-30/10/2014 को घोषित)

- 1— वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूध्द यह व्यवहार वाद मौजा तुमड़ीभाट प.ह.न. 17/1, रा.नि.म. व तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 84/5, 84/8 रकबा क्रमशः 1.00एकड़/0.405 हेक्टेयर, 1.00एकड़/0.405 हेक्टेयर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जावेगा) पर हस्तक्षेप करने से रोकने स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- 3— वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादीगण के द्वारा प्रतिवादी कमांक—1 से 3 के पिता अमानसिंह से दो पंजीयत विकय पत्र दिनांक—29.10.1992 एवं दिनांक—23.06.1997 के माध्यम से नगद राशि अदा कर कय की गई थी। वादीगण कय दिनांक से विवादित भूमि काबिज काश्त चले आ रहे है। दिनांक—30.06.2013 को प्रतिवादी कमांक—1 से 3 के द्वारा वादीगण के आधिपत्य की विवादित भूमि पर जबरन धान बोने की कोशिश करने लगे तो वादीगण ने मना किया, जिस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को जान से मारने की धमकी देकर भूमि पर जबरन कब्जा करने की भी धमकी दी। वादीगण को आशंका है कि प्रतिवादी कमांक—1 से 3 के द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल कर दिया जावेगा। वादीगण ने उन्हें बेदखल करने से रोकने हेतु प्रतिवादी कमांक—1 से 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही है।
- 4— प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 ने वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वादीगण ने उनके पिता से भूमि क्रय करने का कथन किया है किन्तु उक्त भूमि का मौके पर कभी भी विधिवत् नापजोप करके वादीगण ने कब्जा प्राप्त नहीं किया है। वादीगण को विवादित भूमि की सीमा का सही—सही ज्ञान नहीं है। उभयपक्ष की भूमियाँ आपस में सीमा से लगी हुई है, प्रतिवादीगण की वादीगण से लगी 0.30 डिसमिल भूमि पर दिनांक—04.07.2013 को अवैध कब्जा करने का वादीगण प्रयास कर रहे थे, जिस पर विवाद हुआ। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। वादीगण का दावा त्रुटिपूर्ण एवं मिथ्या होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

- 5— प्रतिवादी क्रमांक—4 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।
- 6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

क्रं.	वाद—प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा तुमड़ीभाट प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 84/5, 84/8, रकबा क्रमशः 0.405, 0.405 हेक्टेयर भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है ?	प्रमाणित
2	क्या उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के द्वारा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है?	प्रमाणित
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

# —:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::— <u>वादप्रश्न क्रमांक—1 एवं 2 का निराकरण</u>

- 7— उक्त दोनों वादप्रश्न का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य है तथा उनके आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।
- 8— वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में पंजीयत विक्य पत्र दिनांक—29.10.1992 प्रदर्श पी—1, पंजीयत विक्य पत्र दिनांक—23.06.1997 प्रदर्श पी—2 पेश किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को प्रतिवादी पक्ष की ओर से चुनौती अभिवचन एवं साक्ष्य में नहीं दी गई है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के पिता अमानसिंह से वादीगण मौजा तुमड़ीभाट प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 84/5, 84/8, रकबा क्रमशः 0.405, 0.405 हेक्टेयर भूमि ने 2.00 एकड़ भूमि विधिवत् क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्रों प्रदर्श पी—1 एवं प्रदर्श पी—2 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण ने विक्रय पत्र के अनुसार क्रय दिनांक से क्रयशुदा भूमि अर्थात विवादित भूमि का कब्जा भी प्राप्त किया था।

9— वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विवादित भूमि का भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी—3, खसरा फार्म वर्ष 2014—15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—10 पेश किया है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादीगण विवादित भूमि के भूमि स्वामी है तथा वर्तमान में भी उनका नाम विवादित भूमि पर स्वामी के रूप में दर्ज है। वादीगण ने विवादित भूमि के सीमांकन कार्यवाही के दस्तावेज सीमांकन प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—4, पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—5, फिल्ड बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—6, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—7, खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—8 एवं विवादित भूमि का राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—9 पेश किया गया है। उक्त सीमांकन कार्यवाही के दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमांकन निष्पादित किया गया है, जिसमें विवादित भूमि पर रकबा 1.82 एकड़ पर वादी बिसराम का कब्जा पाया गया तथा शेष रकबा 0.18 एकड़ पर सरहदी खातेदार रामसिंह का कब्जा पाया गया है।

10— प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किया गया है कि वादीगण ने सरहदी खातेदार रामिसंह के द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने से उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में वाद में संयोजित नहीं किया है तथा केवल प्रतिवादीगण को बिना आधार के उनके विरुद्ध वाद पेश किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादीगण ने यह दावा विवादित भूमि पर स्वत्व आधारित कब्जा को संरक्षित करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया है, जिसमें वाद प्रस्तुति का वाद कारण भी प्रकट किया है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। वास्तव में जिस व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण या अवैध हस्तक्षेप करने से वादीगण के स्वत्व को खतरा उत्पन्न हुआ, उसी के विरुद्ध वादीगण वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

वादी बिसरामसिंह (वा.सा. 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने अभिवचन के अनुरूप कथन किये है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि खरीदते समय भूमि का नाप पटवारी से नहीं कराया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि विकता अमानसिंह ने उसे जमीन की मेढ़ घुमाकर कब्जा दे दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि खरीदी हुई भूमि का पहले कोई नक्शा नहीं कटवाया था। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि पटवारी ने खरीदी हुई भूमि में से 1.82 एकड़ भूमि पर उसका कब्जा तथा 0.18 डिसमिल भूमि पर रामसिंह का कब्जा बताया था। वादीगण का समर्थन मोहपत (वा.सा.1) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। वादी साक्षीगण के कथन का खण्डन प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से नहीं

किया गया है। बिसरामिसंह (वा.सा. 2) के प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकारोक्ति कि विवादित भूमि को क्रय करने के पूर्व पटवारी ने भूमि नाप के नहीं दी और नक्शा नहीं काटा, इस तथ्य का पंजीयत विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने के पश्चात् अधिक महत्व नहीं रह जाता। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रतिवादी पक्ष को जानकारी होने पर अथवा सीमांकन कार्यवाही के पश्चात् स्वयं प्रतिवादीगण ने विक्रय पत्र को चुनौती दिये जाने हेतु न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की है और न ही इस वाद में कोई प्रतिदावा वादीगण के विक्रय पत्र को शून्य या निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। इस कारण वादीगण के पक्ष में निष्पादित दोनों विक्रय पत्र प्रतिवादीगण पर बंधनकारी है।

प्रतिवादीगण की ओर से मुनियाबाई (प्र.सा.1), नैनसिंह (प्र.सा.2) एवं 12-बोहरनसिंह (प्र.सा.3) ने प्रतिवादीगण के अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किये है तथा प्रतिपरीक्षण में यह कथन किये है कि बिसराम के द्वारा अमानसिंह से 1.00 एकड़ भूमि खरीदने की उन्हें जानकारी है, किन्तु दूसरी भूमि खरीदने की उन्हें जानकारी नहीं है। जबिक प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन में वादीगण के द्वारा अमानसिंह से किसी भी भूमि को क्य करने से इंकार किया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने बिसराम द्वारा अमानसिंह से केवल 1.00 एकड़ भूमि क्रय करना अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। यद्यपि शेष 1.00 एकड़ भूमि का विक्रय अमानसिंह ने वादीगण के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है, इस हेतू प्रतिवादीगण के द्वारा कोई चुनौती प्रतिदावा प्रस्तुत कर नहीं दी गई है। जहां तक प्रतिवादीगण को दूसरी भूमि अर्थात शेष 1.00 एकड़ भूमि के विकय की जानकारी प्राप्त न होने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिवादीगण के अभिवचन में दोनों विक्रय पत्रों से इंकार करने के पश्चात् प्रतिवादी साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में 1.00 एकड़ भूमि के विक्रय होने की स्वीकारोक्ति की है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण के द्वारा विक्रय पत्रों के निष्पादन न होने के संबंध में असत्य अभिवचन एवं कथन किया जाना प्रकट होता है। सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि प्रतिवादीगण को वादीगण के पक्ष में निष्पादित दोनों विक्रय पत्रों प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 की भली-भांति जानकारी रही है तथा प्रतिवादीगण ने प्रकरण में स्वच्छ हाथों से अपना बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13— प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण में वादीगण के पक्ष में निष्पादित दूसरे विक्रय पत्र के बारे में जानकारी न होने के कथन किये गये है। उक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के पिता अमानसिंह ने वादीगण के पक्ष में दूसरे विक्रय पत्र के निष्पादन की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं दी तब भी मात्र जानकारी न होने के अभाव में प्रतिवादीगण को वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य वाली विवादित भूमि के भू—भाग पर हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। प्रतिवादीगण ने अपने

अभिवचन में वादीगण को विवादित भूमि की सीमा का ज्ञान न होना प्रकट किया है जबिक स्वयं प्रतिवादीगण को उनके पिता अमानसिंह द्वारा विक्रयशुदा भूमि की जानकारी नहीं है। इसी आधार पर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किये जाने की अधिसंभावना प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण विवादित भूमि पर विधिपूर्ण स्वामी के रूप में आधिपत्य में है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा उनके आधिपत्य वाली भूमि पर अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक—1 व 2 वादी के पक्ष में प्रमाणित के रूप में निराकृत किये जाते है।

#### सहायता एवं व्यय

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने यह प्रमाणित किया है कि वादीगण के आधिपत्य की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण अवैध हस्तक्षेप कर रहे है, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है। अतएव वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

- (1) प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादीगण के आधिपत्य की मौजा तुमड़ीभाट प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 84/5, 84/8, रकबा क्रमशः 0.405, 0.405 हेक्टेयर भूमि पर विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करे बगैर स्वयं अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से हस्तक्षेप न करे।
- (2) प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 अपने साथ वादीगण का भी वादव्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व् दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर